(नगर विकास एवं आवास विभाग)

कार्यालय नगर निगम, सहरसा

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार
कार्यालय नगर निगम सहरसा

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक– 4081, दिनांक 26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है जिसकी विवरणी निम्नवत हैः–

स्वच्छता साथी के जिम्मेदारी, चयन प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश

स्वच्छता साथी कौन होगे :–

1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अभ्यर्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो।
3. अभ्यर्थी को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सके।
5. अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. अभ्यथी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG member, Swachhagarhi, Sanitation Worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs youth, Community Based Organizations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते है।
7. नगर निगम स्तर पर कुल संख्या–13 स्वच्छ साथी चयनित किये जायेगें।

चयन प्रक्रिया

1. अभ्यर्थी अपना आवेदन–पत्र सहरसा नगर निगम, कार्यालय में स्थित आगत निर्गत शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
2. अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक–19/12/2025 तक आवेदन के साथ अपने दस्तावेज की फोटो कॉपी स्व अभिप्रमाणित कर कार्यालय सहरसा नगर निगम के आगत निर्गत शाखा में अपराह्न 05:00 बजे तक जमा कर देगें।
3. अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु तिथि निर्धारित करते हुए साक्षात्कार में भाग लेने की सूचना कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रकाशित की जाएगी।
4. सभी अभ्यर्थी अपना मूल दस्तावेज (यथा–अपने संबंधित मूल प्रमाण–पत्र, अंक प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ में अवश्य लाएंगे।
5. साक्षात्कार उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के साथ एग्रीमेंट किया जायेगा।

स्वच्छता साथी के चयन का उद्देश्य :–

1. शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को जागरूक करना एवं उन्हें उत्तरदायी बनाना।
2. शहर को कचरा मुक्त बनाने में नागरिकों की भूमिका पर उन्हें जागरूक करना।
3. नगरिकों के बीच triggering करना और कचरे के लिए असहिष्णुता की भावना को बढ़ाना।
4. नगरिकों को स्वच्द परिवेश के लाभों के प्रति सचेत करना।
5. कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए वांछित व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना।

स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ :–

1. कार्य अवधि पांच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
2. प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
3. छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
4. मानदेय प्रत्येक माह के एक से पांच तारीख तक देय होगा।
5. प्रतिदिन रू0 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय 300 X 20= 6000.00 रू० मानदेय के रूप देय होगा।
6. स्वच्छता साथी को अनुबंध के आधार (Contractual Basis) पर एक वर्ष के लिए Hire किया जाएगा, जिसकी अवधी अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
7. प्रत्येक स्वच्छता साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए Engage किया जाएगा।
8. 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
9. सभी स्वच्छ साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी।
10. छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगे।
11. किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोटः– यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नहीं है, अतः किसी भी तरह का Claim मान्य नहीं होगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, सहरसा

PR- 019473 (B&C) 2025-26

विस्तृत जानकारी वेबसाइट state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार